66

कार्यालय – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण कक्ष)
सतपुड़ा भवन, प्रथम तल, मध्यप्रदेश, भोपाल

Tel. (office) 2674212 (Fax) 2551450, E-mail: apccfprot@mp.gov.in

क्रमांक / वन अपराध / 3235 भोपाल, दिनांक 13/7/12

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक(क्षेत्रीय)
समस्त क्षेत्र संचालक, टाइगर रिजर्व,
समस्त सचालक, राष्ट्रीय उद्यान
मध्यप्रदेश।

पृ.क्रं.-	
पिछला	अगला

विषय :– राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अप्रत्याशित दुर्घटनाओं की तत्काल मुख्यालय को सूचना देने के संबंध में ।

संदर्भः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पत्र कमॉक / एफ–08 / 10–10 / 2009 / 4027 दिनांक 28–10–2009, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग का पत्र कमॉक /2640 / 3196 / 09 / 10–2 दिनांक 25 नवम्बर, 2009, कमॉक / 170 / 3196 / 09 / 10–2 दिनांक 13 जनवरी, 2010 एवं इस कार्यालय का पत्र कमॉक /वन अपराध / 10–10 / 2012 / 2423 दिनांक 21–5–2012 एवं कमॉक / एफ–5 / 2008 / 10–10 / 1865 दिनांक 12–6–2011

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें । संदर्भित पत्रों व्दारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अप्रत्याशित दुर्घटनाओं की तत्काल सूचना देने हेतु निर्देशित किया गया था । राज्य शासन के संदर्भित पत्र दिनांक 13 जनवरी, 2010 से यॉत्रिकीय वाहन जप्ती के प्रकरण, रुपये एक लाख से अधिक मूल्य के वनोपज जप्ती के प्रकरण , वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम , 1972 की अनुसूची –I एवं II के भाग –II अथवा संरक्षित क्षेत्रों से संबंधित वन अपराध प्रकरण मान0 वन मंत्री जी के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) को वन अपराध प्रकरण दर्ज किए जाने के तत्काल बाद उसी दिन सूचित करने बाबत निर्देश दिये गये थे ।

यह देखा जा रहा है कि कई प्रकरणों में उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है एवं क्षेत्रीय अधिकारियों व्दारा निर्देशानुसार जानकारी मुख्यालय स्तर समय पर नहीं पहुॅचाई जा रही है । कई बार बाहरी स्त्रोतों से जानकारी प्राप्त हो जाती है एवं क्षेत्रीय अधिकारियों से जानकारी बाद में प्राप्त होती है

67

इससे प्रकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी पता नहीं चलती तथा विभाग को शासन, जनता एवं अन्य स्तरों पर सही स्थिति प्रस्तुत करने में कठिनाई होती है ।

इस संबंध में आपको निर्देश दिये जाते हैं कि जब भी कोई अप्रत्याशित दुर्घटना या कोई अन्य महत्वपूर्ण घटना आपके क्षेत्र में होती है तो उसकी सूचना तत्काल संदर्भित पत्रों व्दारा दिये गये निर्देशानुसार संबंधितों को भेजी जावे ।

कृपया संदर्भित पत्रों व्दारा जारी निर्देशों एवं इस पत्र व्दारा दिये जा रहे निर्देशों का पालन किया जाये ताकि समय रहते कार्यवाही की जा सके ।

पृ.क्र.-	
पिछला	अगला

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल

O/C